प्रेस नोट

01.10.2019

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामघाट मन्दिर के पास से गुफरान पुत्र मुहम्मद हनीफ निवासी सैय्यदवाड़ा, काली सिंह पुत्र राजबली सिंह निवासी सेमरी जमालपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से क्रमशः 10–10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 418, 419/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.10.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कस्बा मधुबन से मु0अ0सं0 470/19 धारा 504 भादवि व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मूरत मल्ल पुत्र रामचन्द्र मल्ल निवासी ऊसरी वार्ड नं0 05 थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत चोरी करते समय एक व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की जेवर व कपड़ा बरामद–

मऊ। आज दिनांक 01.10.19 को थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत चोरी करते समय एक व्यक्ति को पब्लिक द्वारा गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया गया तथा कब्जे से चोरी की जेवर व कपड़ा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 420/19 धारा 457,380,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 13 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 01.10.19 को थाना **दक्षिणटोला पुलिस** द्वारा सम्पत पुत्र रामराज, जगदीश पुत्र सम्पत निवासीगण औरंगाबाद, निकुंज गर्ग पुत्र बृजेश चन्द्र, राहुल पुत्र राजकुमार निवासीगण खेदापुरा थाना दक्षिणटोला, थाना **दोहरीघाट पुलिस** द्वारा सर्वेश कुमार पुत्र स्व0 दयाल निवासी शक्करपुर थाना दोहरीघाट, थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा बद्री पुत्र शिवधन निवासी बनकरी थाना मधुबन, थाना **रानीपुर पुलिस** द्वारा अवधेश, सोनू पुत्रगण राधेश्याम निवासीगण खुरहट थाना रानीपुर, थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा हीरा पुत्र हरिपाल, रामबदन पुत्र हरिदेव निवासीगण कोटवां **थाना सरायलखन्सी**, थाना **कोपागंज पुलिस** द्वारा सैफुल्लाह पुत्र समीन, समीम पुत्र मुहम्मद यूनिस, मुहम्मद तारिफ उर्फ अबुसेना पुत्र मुहम्मद यूसुफ निवासीगण नई बस्ती पारा थाना कोपागंज मऊ को शांति भंग की आशंका में अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।